

1600121  
“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 फरवरी 2019 — माघ 29, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019 (माघ 29, 1940)

क्रमांक-2512/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019), जो सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-  
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)  
सचिव.

## छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 3 सन् 2019)

## छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.	1.	(1)	यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलाएगा.
		(2)	यह 1 जनवरी, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ माना जायेगा.
अनुसूची का संशोधन.	2.		छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी में, सरल क्रमांक 90 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
		“91	छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, रायपुर
		92	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
		93	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम मर्यादित, रायपुर
		94	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर
		95	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
		96	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर
		97	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग
		98	छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
		99	रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर
		100	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
		101	अटल नगर विकास प्राधिकरण
		102	छत्तीसगढ़ योग आयोग
		103	छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड
		104	छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर
		105	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
		106	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड
		107	छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद्, रायपुर
		108	छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड
		109	छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड
		110	छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड
		111	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम मर्यादित
		112	छत्तीसगढ़ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल
		113	छत्तीसगढ़ रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
		114	छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग
		115	छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल

- 116 राज्य वित्त आयोग  
 117 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित  
 118 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण  
 119 राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समीक्षा समिति  
 120 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण  
 121 छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी  
 122 छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी  
 123 छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, रायपुर  
 124 छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी, रायपुर  
 125 पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी सृजन पीठ, भिलाई  
 126 दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र नागपुर  
 127 छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी  
 128 तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड”

### उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) की अनुसूची के निर्वचन के संबंध में कतिपय शंकाएं व्यक्त की गई हैं। ऐसी शंकाओं को दूर करने तथा राज्य शासन के अधीन कुछ लाभ के पदों को उक्त अधिनियम की अनुसूची के मद 19 की सारणी में सम्मिलित करने के लिए, उक्त अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जिससे ऐसे पदों के धारक, विधान सभा के सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने से निरर्हित न हों।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,  
दिनांक 8 फरवरी, 2018

रविन्द्र चौबे  
संसदीय कार्य मंत्री,  
(भारसाधिक सदस्य)

## उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्रमांक 16 सन् 1967) की अनुसूची का सुसंगत उद्घरण :-

### अनुसूची

सरकार के अधीन लाभ के पदों की सूची  
[ धारा 3 (1) देखिये ]

1. राज्य विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.
2. राज्य विधान परिषद् का सभापति और उप सभापति.
3. राज्य मंत्री.
4. उप-मंत्री.
5. संसदीय सचिव.
6. महाधिवक्ता.
7. सरकारी प्लीडर.
8. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्रमांक 5 सन् 1898) में यथा परिभाषित लोक अभियोजक.
9. छत्तीसगढ़ लेण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अधीन पटेल के रूप में नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, या बस्तर जिले में मांडी या चाकी के रूप में नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, कोई भी व्यक्ति.
10. प्रॉविशियल इन्साल्वेंसी एक्ट, 1920 (क्रमांक 5 सन् 1920) के अधीन नियुक्त किया गया राजकीय रिसेीवर.
11. छत्तीसगढ़ इरीगेशन एक्ट, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 62 के अधीन बनाये गये नियमों में यथा परिभाषित सिंचाई पंचायत का सरपंच.
12. नेशनल केडिट कोर या प्रादेशिक सेना में का कोई भी पद.
13. रिजर्व्ड एण्ड ऑक्जीलरी एयर फोर्स एक्ट, 1952 (क्रमांक 62 सन् 1952) के अधीन स्थापित की गई ऑक्जीलरी एयर फोर्स या एयर डिफेंस रिजर्व में का कोई भी पद.
14. भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा दिनांक 26 अक्टूबर, सन् 1962 के प्रवृत्त रहने की कालावधि के दौरान और उसके पश्चात् छ. मास के दौरान संघ की नौ-सेना, स्थल सेना, वायु सेना या किन्हीं अन्य सशस्त्र बलों का सदस्य.
15. ऐसे बीमाकर्ता के अधीन, जिसके कि नियंत्रित कारबार का प्रबंध लाइफ इश्योरेंस (इमरजेन्सी प्रावीजन्स) एक्ट, 1956 (क्रमांक 9 सन् 1956) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो, कोई भी पद.

मद 15 के प्रयोजन के लिये "बीमाकर्ता" तथा "नियंत्रित कारबार" के वही अर्थ होंगे जो कि लाइफ इश्योरेंस (इमरजेन्सी प्रावीजन्स) एक्ट, 1956 (क्रमांक 9 सन् 1956) में उनके लिए क्रमशः समनुदेशिक किये गये हैं.

16. छत्तीसगढ़ विधान सभा में विरोधी दल के नेता का पद.

स्पष्टीकरण :- मद 16 के प्रयोजन के लिये विरोधी दल के नेता का वही अर्थ होगा जो कि उसे छत्तीसगढ़ विधान मण्डल विरोधी दल का नेता (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1980 में दिया गया है.

17. किसी कानूनी निकाय का सभापति तथा उप-सभापति या अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष या प्रबंध संचालक या संचालक या किसी समिति का कोई सदस्य, भले ही पूर्वोक्त पदों में से कोई पद किसी भी नाम से ज्ञात हो.

स्पष्टीकरण :- मद 17 के प्रयोजन के लिये, उस पद के, जो इसमें वर्णित है, अन्तर्गत आयेगा किसी कानूनी निकाय में उस पद के साथ संयुक्ततः धारित कोई अन्य पद या किसी पद के साथ संयुक्ततः धारित मद 17 में वर्णित पद.

18. मुख्यमंत्री या मंत्री या राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा पदेन हैसियत से धारित पद.
19. निम्नलिखित कानूनी निकाय या समिति के सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या निदेशक और प्रबंध निदेशक या सदस्य सचिव या सचिव या सदस्य का पद :-

- 1 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन गठित राज्य समन्वय समिति.
- 2 राज्य श्रोत (निःशक्तजन) संस्थान.
- 3 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड.
- 4 ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति.
- 5 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्.
- 6 छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण.
- 7 छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी.
- 8 छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी.
- 9 शासकीय किरोड़ीमल पॉलीटेक्निक सोसायटी, रायगढ़.
- 10 कार्यकारी समिति, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्.
- 11 राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़
- 12 राज्य शिक्षुता परिषद् छत्तीसगढ़
- 13 छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के अधीन गठित स्थायी समिति.
- 14 छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अधीन गठित राज्य स्तरीय सतर्कता तथा मॉनिटरिंग कमेटी.
- 15 छत्तीसगढ़ आदिम जाति मंत्रणा परिषद् (जनजाति सलाहकार परिषद्).
- 16 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल.
- 17 छत्तीसगढ़ राज्य वन औषधि बोर्ड.

- 18 छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास एजेन्सी (क्रेडा).
- 19 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड.
- 20 राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड.
- 21 राज्य उद्योग सलाहकार मंडल.
- 22 बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.
- 23 सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.
- 24 अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण.
- 25 राज्य योजना मंडल.
- 26 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एण्ड बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स).
- 27 छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन.
- 28 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड.
- 29 छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड.
- 30 छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड.
- 31 छत्तीसगढ़ स्टेट कौंसिल भारत स्काउट एण्ड गाइड.
- 32 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना का परियोजना सलाहकार मण्डल.
- 33 छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड.
- 34 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल.
- 35 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन लिमिटेड.
- 36 छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम.
- 37 छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण.
- 38 छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड.
- 39 छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित.
- 40 छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड.
- 41 छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल.
- 42 छत्तीसगढ़ श्रम सलाहकार परिषद.

- 43 विद्युत अधिनियम 2003 धारा 166 (4) के अधीन गठित राज्य स्तरीय समन्वय फोरम.
- 44 छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सी. बी. डी. ए.).
- 45 राज्य जल स्थायी समिति.
- 46 राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड.
- 47 स्वशासी समिति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर.
- 48 स्वशासी समिति, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर.
- 49 स्वशासी समिति, पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर.
- 50 स्वशासी समिति आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर.
- 51 छत्तीसगढ़ पैरा-मेडिकल काँसिल, रायपुर.
- 52 राज्य स्वास्थ्य मिशन.
- 53 छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी.
- 54 कुष्ठ रोग नियंत्रण समिति.
- 55 मलेरिया एवं फाइलेरिया नियंत्रण समिति.
- 56 राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण समिति.
- 57 क्षय रोग नियंत्रण समिति.
- 58 प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति.
- 59 बहुआयामी सांस्कृतिक संस्थान रायपुर
- 60 छत्तीसगढ़ पर्यटन सलाहकार बोर्ड.
- 61 होटल प्रबंधन संस्थान रायपुर.
- 62 छत्तीसगढ़ महिला कोष.
- 63 राज्य समाज कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़.
- 64 छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग.
- 65 छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम.
- 66 छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड.
- 67 छत्तीसगढ़ राज्य संस्कृत बोर्ड.

- 68 छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण.
- 69 छत्तीसगढ़ राजीव गांधी शिक्षा मिशन.
- 70 राज्य शहरी विकास अभिकरण.
- 71 छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड.
- 72 छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था.
- 73 छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड.
- 74 छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम.
- 75 छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड.
- 76 छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग.
- 77 छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग.
- 78 छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग.
- 79 छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग.
- 80 छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग.
- 81 छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग.
- 82 छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति, रायपुर.
- 83 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित.
- 84 श्रीमति सूर्यमुखी देवी राजगामी सम्पदा समिति (न्यास) राजनांदगांव.
- 85 छत्तीसगढ़ संवाद.
- 86 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम.
- 87 छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित.
- 88 छत्तीसगढ़ राज्य वन्य प्राणी बोर्ड.
- 89 छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड.
- 90 शासकीय चिकित्सालय की जीवन दीप समिति.”

चन्द्र शेखर गंगराडे  
सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधान सभा.